न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -61/2023

अनवान

श्रीमती केशर वाई बेवा गोपाल धाकड़, उम्र वालिग, पेशा काश्तकारी, निवासी ग्राम जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

-वादीया

बनाम

1. कृष्ण मुरारी जाट आत्मज रामलाल जाट, उम्र 35 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी मोहनपुरा (कुण्डाल), तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. भवानीलाल धाकड़ आत्मज श्री गोपाल धाकड़, जाति धाकड़, उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री बाबूराम देराश्री अभिभाषक प्रार्थी
आजाद हुसैन अप्रार्थी संख्या 01

निर्णय दिनांक 07.11.2024

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने उक्त अनुवाद सदर का एक वाद-पत्र न्यायालय श्रीमान् में विरूद्ध विपक्षी प्रस्तुत कर दिया है जो सशक्त आधारों पर आधारित होकर अवश्य ही प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित होगा किन्तु वाद-पत्र के निर्णित होने से समय लगने की सम्भावना है इस कारण यह प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीया का यह प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है। प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं खातेदारी रिकॉर्ड की पुश्तैनी कृषि भूमियां जो कि ग्राम धारड़ी, प0ह0 धावदकलां, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 की खाता संख्या 97 पर दर्ज रिकॉर्ड कृषि भूमि खसरा संख्या 338 रकबा 1.8300 हैक्टेयर, लगानी 9.15 रूपये तथा इसी खाता संख्या 159 में खसरा संख्या 341 रकबा 1.8800 माल लगानी 9.40 रूपये कुल किता 02 रकबा 3.71 है0 लगानी 18.55 रूपये स्थित है जो कि यह खाता भवानी लाल पिता गोपाल धाकड़ तथा मैं श्रीमति केशर बाई बेवा गोपाल धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्त निवासी ग्राम जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान के नाम पर दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें प्रार्थीया केशर बाई एवं विपक्षी संख्या 02 का हिस्सा 1/2, 1/2 इसी प्रकार आधा हिस्सा शामलाती रूप से दर्ज रिकॉर्ड चला आ रही है। इसी प्रकार ग्राम मोहनपुरा प0ह0 धावदकलां, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 की खाता संख्या 109 पर दर्ज खसरा संख्या 397 रकबा 0.7300 लगानी 2 रूपये 19.00 पैसे जो प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 02 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त एवं शामलाती रूप से दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित कृषि भूमियां पुश्तैनी जायदाद प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या [illegible] शामलाती खाते में दर्ज रिकॉर्ड कृषि भूमियां है जिनका रिकॉर्ड एवं मौके पर [illegible] द्वारा [illegible] शेष है जो अभी भी संयुक्त एव शामलाती रूप में दर्ज रिकॉर्ड है जिन पर वर्तमान में [illegible] एवं विपक्षी संख्या 02 का कब्जा होकर इस सम्पूर्ण कृषि भूमियों [illegible] से काश्तकारी कार्य करते चले आ रहे है। विपक्षी संख्या 02 भवानीलाल धाकड़ ने वा[illegible] की बिना सहमति एवं जानकारी के उक्त वर्णित कृषि भूमियां का विक्रय बिना बंटवारा करवाये ही विपक्षी संख्या 01 कृष्ण मुरारि जाट को आराजी संख्या 341 रकबा 1.88 हैक्टेयर में उसका हिस्सा विक्रय कर दिया है जो कानूनन विधिविरूद्ध है विपक्षी संख्या 02 को संयुक्त एवं शामलातीी पुश्तैनी कृषि भूमियों

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.27 17:11:28 IST
Reason: SelfAttested

को विक्रय करने का अधिकार नहीं है तथा उक्त कृषि भूमियां प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 02 की संयुक्त एवं शामलाती खाते दर्ज रिकॉर्ड है तथा कानूनन जब तक कृषि भूमियों का खातेदारों के बीच बंटवारा नहीं हो जाता तब तक कृषि भूमियों का विक्रय करने एवं इनका नामान्तरण खोले जाने की कार्यवाही किया जाना कानूनन विधिविरूद्ध होकर अन्यायोचित है क्योंकि उक्त वर्णित सभी शामलाती कृषि भूमियों की 01-01 इंच पर प्रत्येक खातेदार का हक एंव कब्जा है। विपक्षी संख्या 01 कृष्ण मुरारी जाट के मन में बदयांती आ गई है तथा वह खसरा संख्या 341 पर दर्ज 1/2 हिस्से की कृषि भूमियों को खरीदना बताकर इसके आड़ में वह ग्राम धारड़ी खसरा संख्या 338 एवं ग्राम मोहनपुरा की खसरा संख्या 397 पर जबरन भी नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण करने की बेजा कोशिश कर रहा है तथा मौके पर कृषि भूमियां पर तारबन्दी एवं पत्थर के ढुठलें गाड़ कर हकाई-जुताई एवं बुवाई करने का बेजा प्रयास कर रहा है जबकि इन कृषि भूमियों पर उसका कोई हक एवं अधिकार नहीं है जबरन अतिक्रमण करने की नियत से कृषि भूमियों पर कब्जा करने पर आमादा है जिसे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाकर पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। अंत में प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं खातेदारी रिकार्ड की उक्त चरण संख्या 03 में वर्णित कृषि भूमियों पर जबरन कब्जा कर उन पर हकाई जुताई एवं बुआई करने तथा काश्तकारी कार्य न तो स्वयं करे न ही दिगर व्यक्ति से करवावे तथा उसे प्रार्थीया के खातेदारी रिकार्ड एवं हिस्से की कृषि भूमियों पर कब्जा करने से रोका जाए तथा विपक्षी को पाबंद किया जाए कि वह न तो उक्त कृषि भूमियों काश्तकारी करे न ही किसी ओर से करवावे तथा प्रार्थीया के शान्तिपूर्वक कब्जें में किसी प्रकार का हस्तक्षेप मदाखलत, अवरोध एवं दस्तन्दाजी न तो स्वयं करे न ही किसी दिगर व्यक्ति से करवाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब करने पर विपक्षी संख्या 2 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा पारित हुए। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री आजाद हुसैन मय वकालतनामा प्रस्तुत हो जवाब प्रस्तुत किया। विपक्षी संख्या 02 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 में वर्णित वाद पत्र का न्यायालय में पेश होना स्वीकार है, शेष तथ्य गलत होने से स्वीकार नहीं है तथा प्रार्थीया का कोई प्रथम दृष्ट्या केस प्रमाणित नही है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 03 इतनी स्वीकार है कि भवानी लाल एवं केसर बाई का पहले शामिल खाता था, जिसमें से भवानी लाल ने अपना हिस्सा जो जमाबंदी में 1/2 दर्ज था, अप्रार्थी कृष्ण मुरारी को जरिये रजिस्ट्री बेचान कर दिया है और कृष्ण मुरारी के हक में राजस्व केम्प धावदकलां में इन्तकाल खुलवाने के प्रार्थना पत्र पेश होने पर केसर बाई ने अपना हिस्सा 1/2 अलग से दर्ज कराने की मांग की और भवानीलाल ने भी इन्तकाल खोले जाने में अपनी सहमति दर्ज करवाई थी, भवानीलाल ने आराजी संख्या 341 रकबा 1.88है0 लगान 9.40 पैसे का 1/2 हिस्सा 0.94है0 अप्रार्थी कृष्ण मुरारी को बेचान कर दिया था, उसी आधार पर प्रशासन गांव के संघ अभियान में दोनों पक्षों की सहमति के बाद बंटवारा कर इन्तकाल दर्ज कर दिया और नक्शें में भी तरमीम कर दी, खसरा संख्या 341 के अलावा शेष आराजीयात प्रार्थीया केसर बाई एवं अप्रार्थी भवानीलाल के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है, जिसका अप्रार्थी कृष्ण मुरारी के कोई संबंध [illegible] लत दर्ज की गई है, प्रार्थीया केसर बाई ने स्वयं उपस्थित होकर राजस्व अ[illegible] 20[illegible] के दौरान बंटवारे की स्वीकृति दी थी और उसी आधार पर बं[illegible] तरमीम कर दी गई थी, जिसकी प्रमाणित प्रति[illegible] वक्त शहादत पेश की जावेगी। अन्य कॉलम पूर्णतया [illegible] है। अंत में अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना प[illegible]र्थी मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.27 17:11:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते व कब्जे की जमीन ग्राम धारड़ी, प0ह0 धावदकलां, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 की खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

97 पर दर्ज रिकॉर्ड कृषि भूमि खसरा संख्या 338 रकबा 1.8300 हैक्टेयर, लगानी 9.15 रूपये तथा इसी खाता संख्या 159 में खसरा संख्या 341 रकबा 1.8800 माल लगानी 9.40 रूपये कुल किता 02 रकबा 3.71 है0 एवं इसी प्रकार ग्राम मोहनपुरा प0ह0 धावदकलां की खाता संख्या 109 खसरा संख्या 397 रकबा 0.73है0 भूमि प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 01 के सहखातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त कृषि आराजीयात का विपक्षी संख्या 02 भवानीलाल धाकड ने वादीया की बिना सहमति एवं जानकारी के उक्त वर्णित कृषि भूमियों का विक्रय बिना बंटवारा करवाये ही विपक्षी संख्या 01 कृष्ण मुरारी जाट को आराजी संख्या 341 रकबा 1.88है0 में उसका हिस्सा विक्रय कर दिया है जो काननून विधिविरूद्व है। इस वावत प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद कर ग्राम धारडी प0ह0 धावदकलां में स्थित प्रार्थी के खाते की आराजीयात खाता संख्या 97, 159 एवं ग्राम मोहनपुरा प0ह0 धावदकलां की खाता संख्या 109 में अनाधिकृत कब्जा कर काश्त करने का प्रयास नहीं करे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी न स्वयं करे न ही अन्य से कराने का निवेदन किया। इसके विपरित वकील अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को अप्रार्थी संख्या 02 भवानीलाल द्वारा अपना हिस्सा 1/2 दर्ज था, को जरिये रजिस्ट्री वेचान कर दिया है और उसी आधार पर प्रशासन गांवों के अभियान में दोनो पक्षों की सहमति के वाद बंटवारा कर इन्तकाल दर्ज कर दिया और नक्शें में तरमीम कर दी। आराजी संख्या 341 के अलावा शेष आराजीयात प्रार्थीया केसर वाई एवं अप्रार्थी भवानी लाल के नाम से दर्ज रिकार्ड है, जिसका अप्रार्थी कृष्ण मुरारी से कोई संवंध नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की वहस पर मनन किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सवूत ग्राम धारडी, प0ह0 धावदकलां, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ खाता संख्या 97, 159 एवं ग्राम मोहनपुरा प0ह0 धावदकलां की खाता संख्या 109 है उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया की खातेदारी व सहखातेदारी हक में दर्ज होने से प्रथमदृष्टया हक प्रार्थीया का होना सावित होता है, जिससे सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी के पक्ष में न होकर प्रार्थीया के पक्ष में अधिक है। उक्त कृषि आराजीयात का वंटवारा नहीं होने से प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 01, 02 तीनो का ही हक हिस्सा की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः मूल वाद के निस्तारण पर ही स्थिति स्पष्ट होना प्रतित होती है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि ग्राम धारडी प0ह0 धावदकलां की खाता संख्या 97, 159 व ग्राम मोहनपुरा प0ह0 धावदकलां की खाता संख्या 109 में वह प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीया के कब्जेकाश्त भूमि पर किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न स्वयं करे न अन्य किसी व्यक्ति से करावें।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2024 को सुनाया गया।

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gago
Date: 2024.11.27 17:11:28 IST
Reason: SelfAttested